

## जनजाति क्षेत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति अभिधारकों का प्रत्यक्षण

खीमाराम काक\*

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् निरंतर प्रयास किए गए। आजादी से पूर्व बड़ौदा नरेश सर गायकवाड़, गोपाल कृष्ण गोखले, सर चीतलवाड़ एवं इब्राहीम रहीमतुल्ला ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सराहनीय प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आजाद भारत में समय-समय पर बने शिक्षा आयोगों एवं शिक्षा समितियों ने प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की सिफारिशों की, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सिफारिशों लागू नहीं हो पाई। लंबी कानूनी प्रक्रिया एवं 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह पूरे देश में 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम राजस्थान में भी इसके अगले वर्ष ही क्रियान्वित कर दिया गया। इस अधिनियम का राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र (बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, सिसरी व उदयपुर) में भी व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यंत पिछड़ा है। प्रस्तुत शोध कार्य में इस अधिनियम के प्रति शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने का कारण यह है कि इस अधिनियम का सफल क्रियान्वयन इन्हीं अभिधारकों की मंशा, सोच एवं कार्यप्रणाली पर निर्भर है। शोध कार्य में दत्त संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया एवं सांख्यिकी विधि में प्रतिशत एवं काई स्कायर का प्रयोग किया गया।

“शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु शिक्षा जीवन ही है” जॉन डयवी (1916) का यह कथन वास्तव में शिक्षा के वृहद रूप को स्थापित करता है। शिक्षा के बिना जीवन निर्थक है। शिक्षा ही जीवन की आधारशिला है। हम दैनिक जीवन में शिक्षा को भौतिक संसाधनों (धन, दौलत, जमीन) के तुल्य मानें तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। शिक्षा जीवन निर्माण की वह मजबूत जड़

(बुनियाद) है जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। शिक्षा से मनुष्य के जीवन को अर्थ मिलता है। जीवन की गुणवत्ता, चरित्र, आचरण शिक्षा से ही स्थापित होता है।

### शिक्षा का अधिकार, 2010

संविधान अधिनियम, 2002 (86 वाँ संशोधन) भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 क,

\*विद्या भवन गोविन्दराम सेक्सरिया शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 313001


मौलिक अधिकार के रूप में 6–14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 एक समान गुणवत्तापूर्ण पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में व्याख्यायित करता है।

अनुच्छेद 21क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ‘निःशुल्क और अनिवार्य’ शब्द सम्मिलित हैं। ‘निःशुल्क शिक्षा’ का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसे उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फ़ीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसे रोके, अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ‘अनिवार्य शिक्षा’ उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6–14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। परिणामतः भारत सरकार ने अधिकार आधारित शैक्षिक ढाँचे में प्रगति की है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21क

में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के संदर्भ में आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के लिए लगातार प्रयास हुए एवं इसमें 1 अप्रैल, 2010 को सफलता मिली जब यह अधिनियम देश में लागू हुआ। राजस्थान में भी इसके अगले वर्ष ही राज्य विधानसभा द्वारा यह अधिनियम पारित करके संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित कर दिया गया।

### राजस्थान में जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या—साक्षरता दर 2011

भारत की 15वीं जनगणना में राजस्थान की कुल साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.51 प्रतिशत व महिलाओं की साक्षरता दर 52.66 प्रतिशत है। राजस्थान के जनजाति ज़िलों में साक्षरता दर इस प्रकार है—



राजस्थान के जनजाति ज़िलों में साक्षरता दर

### राजस्थान ज़िला मानचित्र एवं राजस्थान के चयनित जनजाति क्षेत्र की साक्षरता दर

क्र.सं.	न्यादर्श (ज़िले)	साक्षरता प्रतिशत			
		कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरुष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	ग्रामीण प्रतिशत
1.	बाँसवाड़ा	57.02	70.08	43.47	44.54
2.	झूँगसुर	60.78	74.66	46.98	45.15

3.	प्रतापगढ़	56.03	70.13	42.04	40.10
4.	सिरोही	56.02	71.09	40.12	41.50
5.	उदयपुर	62.74	75.91	49.01	47.75

स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात् भी जनजाति शिक्षा का स्तर अन्य वर्गों की शिक्षा स्तर से बहुत पीछे है। जनजाति शिक्षा पर सर्वाधिक सघन प्रयास विभिन्न सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। परंतु जब राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की प्रभावशीलता व स्थिति साक्षरता दर के बारे में विचार करते हैं तो निम्नांकित शोध प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उभरता है—

### शोध प्रश्न

राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के प्रावधानों एवं इसके क्रियान्वयन एवं प्रभाव के प्रति अभिधारकों का 'प्रत्यक्षण' क्या है?

### संबंधित साहित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन के पश्चात् यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि इस अधिनियम पर एम.एड. एवं पीएच.डी. स्तर पर शोध कार्य हुआ है। इसमें केवल इस अधिनियम के प्रति जागरूकता, अभिमत, स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन किया गया है। राजस्थान के जनजातीय बाहुल्य ज़िलों में आरटीई 2010 के प्रावधान, प्रावधानों के क्रियान्वयन, क्रियान्वयन के प्रभाव एवं इनके प्रति विभिन्न अभिधारकों के 'प्रत्यक्षण' से संबंधित कोई अध्ययन नहीं हुआ है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित शोध समस्या का चयन किया गया।

### समस्या कथन

'जनजाति में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति अभिधारकों का प्रत्यक्षण'

### शोध के उद्देश्य

राजस्थान के जनजाति बाहुल्य ज़िलों में अभिधारकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, क्रियान्वयन एवं प्रभाव के प्रति प्रत्यक्षण का अध्ययन करना।

### शोध समस्या का औचित्य

प्रस्तुत शोध पत्र जनजाति क्षेत्र में शिक्षा अधिकार अधिनियम के सही एवं सफल क्रियान्वयन के प्रभाव के संदर्भ में है। इस शोध पत्र के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा अधिकार कानून के प्रति अभिधारकों के प्रत्यक्षण को जानने का प्रयास किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए— नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, पाठ्यगामी व पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ आदि। परिवेदना, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, मध्याह्न भोजन, पाठ्य क्रिया एवं बच्चे का सर्वांगीण विकास, शारीरिक दण्ड एवं अनुशासन प्रावधानों एवं भेदभाव प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों को प्रत्यक्षण के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा में अधिनियम के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होगी।

## शोध परिकल्पना

जनजाति क्षेत्र में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों की आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित 'प्रत्यक्षण' (Perception) में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

## न्यादर्श

इस शोध कार्य हेतु निम्नांकित जनजाति बहुल ज़िलों को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है—

- बाँसवाड़ा
- डूँगरपुर
- प्रतापगढ़
- सिरोही
- उदयपुर

## शोध समस्या का परिसीमन

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नानुसार परिसीमित किया गया है—

**क्षेत्रवार**— दक्षिण राजस्थान के जनजाति बहुल ज़िले बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही एवं उदयपुर।

**स्तरवार**— राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उनसे संबंधित शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों तक।

## शोध विधि

शोध कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

## सांख्यिकी प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन के लिए संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत-प्रतिशत एवं काई-स्क्वायर सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

## शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों हेतु स्व-निर्मित प्रश्नावली तथा ज़िला शिक्षा अधिकारियों हेतु अर्द्धसंचरित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।

## दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

### विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 3 व आरेख संख्या 1 में काई-मान 0.20 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.841) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण के प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

## सारणी 2

क्र.सं.	अधिधारक	ज़िले					
		उदयपुर	चितौड़गढ़	बाँसवाड़ा	डूँगरपुर	सिरोही	कुल
1.	ज़िला शिक्षा अधिकारी	1	1	1	1	1	05*
2.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	2	2	2	2	2	10*
3.	प्रधानाध्यापक	15	15	15	15	15	75*
4.	शिक्षक	60	60	60	60	60	300**
	योग	78	78	78	78	78	390

\*उपलब्धता के आधार पर 60 शिक्षाधिकारियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया।

\*\*उपलब्धता के आधार पर 163 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में लिया।

### सारणी 3


जनजाति क्षेत्र में आरटीई अधिनियम के नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	x <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			सार्थक अंतर नहीं
1.	शिक्षक (163)	97	3	100	0.20	
2.	शिक्षाधिकारी (60)	98	2	100		
	योग = 223	195	5	200		

स्वतंत्रता अंश(df)-1, सार्थकता 0.05 स्तर पर सारणीमान = 3.841,

S = सार्थक अंतर, NS = सार्थक अंतर नहीं

### आरेख 1




आरटीई के नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

### सारणी 4

आरटीई अधिनियम के मानव एवं भौतिक संसाधन से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	x <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			सार्थक अंतर नहीं
1.	शिक्षक (163)	81	19	100	0.90	
2.	शिक्षाधिकारी (60)	86	14	100		
	योग=223	167	33	200		

अरेख 2



आरटीई अधिनियम के मानव एवं भौतिक संसाधन से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

## विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 4 व अरेख संख्या 2 में संगणित काई-स्क्वायर मान 0.90 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (मानव एवं भौतिक संसाधन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

## विश्लेषण एवं व्याख्या


सारणी 5 व आरेख संख्या 3 में संगणित काई-मान 3.7 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (पाठ्यक्रम, आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) अस्वीकार की जाती है।

सारणी 5

## आरटीई अधिनियम के पाठ्यक्रम, आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं कार्ड-स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर सार्थक अंतर नहीं	
		हाँ	नहीं				
1.	शिक्षक (N=163)	94	6	100	3.7		
2.	शिक्षाधिकारी (N=60)	99	1	100			
	योग = 223	193	7	200			

आरेख 3




आरटीई अधिनियम के पाठ्यक्रम, आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में  
शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

#### सारणी 6

आरटीई अधिनियम के विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास समिति संबंधी प्रावधानों के  
क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं संगणित स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	$\chi^2$	सार्थकता स्तर 0.05 सार्थक अंतर
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	90	10	100		
2.	शिक्षाधिकारी (60)	98	2	100		
	योग=223	188	12	200		

आरेख 4



आरटीई अधिनियम के विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास समिति संबंधी प्रावधानों के  
क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

## विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 6 व आरेख संख्या 4 में संगणित काई-मान 5.67 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से ज्यादा है। अतः यह शून्य परिकल्पना (विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास समिति संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) अस्वीकार की जाती है।

## विश्लेषण एवं व्याख्या


सारणी 7 व आरेख संख्या 5 में संगणित काई-मान 4.06 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से ज्यादा है। अतः यह शून्य परिकल्पना (शिक्षक संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) अस्वीकार की जाती है।

### सारणी 7

आरटीई अधिनियम के शिक्षक संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (N=163)	91	9	100	4.06	सार्थक अंतर
2.	शिक्षाधिकारी (N=60)	98	2	100		
	योग=223	189	11	200		

### आरेख 5




आरटीई अधिनियम के शिक्षक संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

### सारणी 8

आरटीई अधिनियम की परिवेदनाओं संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	90	10	100	0.24	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	92	8	100		
	योग = 223	182	18	200		

### आरेख 6



आरटीई की परिवेदनाओं संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

### विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 8 व आरेख संख्या 6 में संगणित काई-मान 0.24 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह


शून्य परिकल्पना (परिवेदनाओं संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

### सारणी 9

आरटीई अधिनियम के विद्यालय की भौगोलिक स्थिति संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	93	7	100	0.86	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	96	4	100		
	योग = 223	189	11	200		

आरेख 7



आरटीई अधिनियम के विद्यालय की भौगोलिक स्थिति संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

#### विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 10 व आरेख संख्या 7 में संगणित काई-मान 0.86 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह


शून्य परिकल्पना (विद्यालय की भौगोलिक स्थिति संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

#### सारणी 10

आरटीई अधिनियम के मिड-डे मील संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	98	2	100	0.33	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	99	1	100		
	योग=223	197	3	200		

आरेख 8



आरटीई अधिनियम के मिड-डे-मील संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

## विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 10 व आरेख संख्या 8 में संगणित कार्ड-मान 0.33 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (मिड-डे-मील संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

## विश्लेषण एवं व्याख्या


सारणी 11 व अरेख संख्या 9 में संगणित कार्ड-मान 3.15 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (पाठ्य-सहगामी क्रियाओं एवं बालक का सर्वांगीण विकास संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

सारणी 11

आरटीई अधिनियम के पार्य-सहगामी क्रियाओं एवं बालक का सर्वांगीण विकास संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं कार्ड स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	88	12	100	3.15	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी ( 60)	95	5	100		
	योग = 223	183	17	200		

आरेख 9




आरटीई अधिनियम के पाठ्य-सहगामी क्रियाओं एवं बालक के सर्वांगीण विकास संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

### सारणी 12

आरटीई अधिनियम के शारीरिक दण्ड एवं अनुशासन संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं कार्ड स्क्वायर

क्र. सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	93	7	100	0.86	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	96	4	100		
	योग = 223	189	11	200		

### आरेख 10



आरटीई अधिनियम के शारीरिक दण्ड एवं अनुशासन संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

### विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 12 व आरेख संख्या 10 में संगणित कार्ड-मान 0.86 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (शारीरिक दण्ड एवं


अनुशासन संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

### सारणी 13

आरटीई अधिनियम के भेदभाव संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं कार्ड स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	99	1	100	0.33	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	99	1	100		
	योग = 223	198	2	200		

आरेख 11



आरटीई अधिनियम के भेदभाव संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों का प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

#### विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 13 व आरेख संख्या 11 में संगणित काई-मान 0.33 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है।


अतः यह शून्य परिकल्पना (भेदभाव संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

सारणी 14

आरटीई अधिनियम के समस्त प्रावधानों के वांछित क्रियान्वयन के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं काई स्क्वायर

क्र.सं.	समूह	औसत प्रतिशत		योग	X <sup>2</sup>	सार्थकता स्तर 0.05
		हाँ	नहीं			
1.	शिक्षक (163)	92	8	100	1.41	सार्थक अंतर नहीं
2.	शिक्षाधिकारी (60)	96	4	100		
	योग = 223	188	12	200		

आरेख 12



आरटीई अधिनियम के समस्त प्रावधानों के वांछित क्रियान्वयन के प्रभाव के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत

## विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 14 व आरेख संख्या 12 में काई-मान 1.41 है जो कि सारणीमान 0.05 (3.8) से कम है। अतः यह शून्य परिकल्पना (आरटीई 2010 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है) स्वीकार की जाती है।

## शोध से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में आरटीई के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रति शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों का अभिमत एवं प्रत्यक्षण

- (i) जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में भौतिक संसाधन, मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
- (ii) विद्यालय में पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, पोषाहार, प्रबंधन समिति एवं अन्य प्रावधान संबंधी व्यवस्था नियमानुसार है।
- (iii) शिक्षकों का आरटीई के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रति प्रत्यक्षण उच्च है।

## अभिधारक-प्रत्यक्षण संबंधी शून्य

### परिकल्पनाओं की जाँच के प्रमुख निष्कर्ष

(क) जनजाति क्षेत्र के शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों की आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के प्रति प्रत्यक्षण संबंधी निम्नलिखित परिकल्पनाएँ स्वीकार की गई हैं—

- (i) नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण के प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं हैं।
- (ii) मानव एवं भौतिक संसाधन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं

शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।

- (iii) पाठ्यगामी एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (iv) परिवेदनाओं संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (v) विद्यालय की भौगोलिक स्थिति संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (vi) मिड-डे मील संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (vii) पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं बच्चे का सर्वांगीण विकास संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (viii) शारीरिक दण्ड एवं अनुशासन संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (ix) भेदभाव संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (x) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (ख) जनजाति क्षेत्र के शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों की आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के प्रति

प्रत्यक्षण संबंधी निम्नलिखित परिकल्पनाएँ अस्वीकार की गई हैं—

- (i) विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास समिति संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।
- (ii) शिक्षक संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर नहीं है।

### शैक्षिक निहितार्थ

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों यथा नामांकन, प्रवेश प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, पाठ्यगामी व पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, परिवेदनाओं संबंधी प्रावधानों, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति संबंधी प्रावधानों, मध्याह्न भोजन संबंधी प्रावधानों, पाठ्य सहगामी क्रिया एवं बच्चे का सर्वांगीण विकास संबंधी प्रावधानों, शारीरिक दण्ड एवं अनुशासन संबंधी

प्रावधानों एवं भेदभाव संबंधी प्रावधानों के संबंध में शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों का प्रत्यक्षण उच्च है। अतः यह अध्ययन जनजातीय क्षेत्र में अधिनियम के सही व सफल क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर नीतिगत निर्णय एवं प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में सहायक होगा।

इस शोध के परिणाम से यह स्पष्ट है कि अभिधारकों (शिक्षकों एवं शिक्षाधिकारियों) का आरटीई अधिनियम के प्रति सामान्यतः प्रत्यक्षण उच्च है जो यह दर्शाता है कि अभिधारक आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संतुष्ट हैं। हालाँकि वे इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी स्पष्ट राय रखते हैं जिसका गूढ़ निहितार्थ यह है कि आरटीई अधिनियम में वांछित संशोधन में सभी अभिधारकों के अभिमत को सम्मिलित कर जनहित में वांछित निर्णय लेना ही प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक भावना का सही एवं सच्चा सम्मान होगा।

### संदर्भ

- ओड.एल. के. 1991. शैक्षिक प्रशासन. राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
- कपिल, एच.के. 1981. अनुसंधान विधियाँ. हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन, आगरा.
- गुड, सी.वी. 1953. इन्ट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च. दूसरा संस्करण, एप्पलटन-सेंचुरी- क्रॉफ्ट्स इनकॉप्रिटिड, न्यूयॉर्क.
- गैरट, हेनरी ई. 1990. शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी. कल्याणी पब्लिशर्स, नयी दिल्ली.
- ड्यूवी, जॉन. 1916. डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन. मैकमिलन पब्लिकेशन.
- ढोडियाल, एस. और अरविंद फाटक. 2005. शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र. राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
- नाइक, जे.पी. 1978. एजुकेशन रिफ़ॉर्म इन इंडिया— ए हिस्टोरिकल रिव्यू. ओरियंट लॉग मैन लिमिटेड, बंबई.
- बेस्ट, जे. डब्ल्यू. 1963. एलिमेंट ऑफ़ रिसर्च. इगलबुड क्लिक्टज, प्रिंटिस हॉल इनकॉप्रिटिड, न्यूयॉर्क.
- भटनागर, सुरेश. 2007. डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया. आर एल बुक डिपो, मेरठ.

माथुर, कमलेश. 1978. मेवाड़ में शिक्षा का विकास 1818 से 1949. पब्लिकेशन्स स्कीम, जयपुर.  
रायजादा, बी.एस. 1997. शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.  
शर्मा, आर.ए. 1995. शिक्षा अनुसंधान. सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ.

#### वेब संदर्भ

[www.shikshabharti.com](http://www.shikshabharti.com)  
[www.indiaedu.com](http://www.indiaedu.com)  
[www.pratham-org.org](http://www.pratham-org.org)  
[www.planningcommission.org](http://www.planningcommission.org)  
[www.rajshiksha.com](http://www.rajshiksha.com)  
[www.ejournal.aiaeer.net](http://www.ejournal.aiaeer.net).  
[www.udise.in](http://www.udise.in)  
[www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in)  
[www.censusindia.gov.in](http://www.censusindia.gov.in).